

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(9) चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 20.12.2011

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान

समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान

विषय:- राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को सामूहिक कार्य के बहिष्कार करने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सकीय अत्यावश्यक सुविधाओं के बारे में पूर्व तैयारी के संबंध में दिशा-निर्देश।


राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा वेतन, पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तों के संबंध में पिछले कुछ समय से राज्य सरकार को ज्ञापन देकर इनमें सुधार की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कई बैठकें हुई तथा सेवारत चिकित्सकों को राज्य सरकार ने उनकी मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी।

सेवारत चिकित्सकों से सहानुभूति पूर्वक वार्ता करने के बावजूद भी सेवारत चिकित्सक अपनी ऐसी मांगों को जो न्यायोचित नहीं है, मनवाने पर अड़े हैं, जबकि इनकी अधिकांश मांगें मान ली गई हैं। सेवारत चिकित्सकों के द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 21.12.2011 को सामूहिक कार्य के बहिष्कार करने की घोषणा की गई है। प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों के उक्त जन विरोधी कार्यक्रम से आमजन को राहत व चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टरों को निम्नानुसार व्यवस्थाएँ किये जाने हेतु पाबन्द किया जाता है:-

1. प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों की उक्त घोषणाओं और कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा जन विरोधी घोषित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएँ घोषित की गई हैं। चिकित्सा सेवाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए प्रदेश में राजस्थान आवश्यक सेवा मेन्टीनेन्स एक्ट (रेश्मा) के तहत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
2. प्रदेश में सेवारत पैरा मेडिकल स्टाफ एवं नर्सिंग स्टाफ को स्वयं की अत्यधिक रूग्णावस्था के अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा पैरा मेडिकल स्टाफ एवं नर्सिंग स्टाफ का आवश्यकता अनुसार उचित वितरण कर इनकी सेवाएँ ली जावें।
3. प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में संचालित सभी मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय/नर्सिंग होम्स के चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की सेवाएँ भी आवश्यकता अनुसार ली जावें।
4. प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में संचालित सभी नर्सिंग महाविद्यालयों में कार्यरत नर्सिंग ट्यूटर, पब्लिक हैल्थ नर्स, अन्य तकनीकी एवं सहायक स्टाफ की सेवाओं का उपयोग भी आवश्यकता अनुसार लिया जावें।
5. प्रदेश में संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं यथा N.S.S. Scouts Guides, N.C.C. एवं स्वयं सेवकों की भी सेवाएँ भी ली जावें।
6. क्षेत्रीय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, भारत सरकार, विद्याधर नगर, जयपुर के अधीन चिकित्सालयों के चिकित्सक, अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ एवं नर्सिंग स्टाफ की सेवाएँ भी ली जावें।


7. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक पीएस/पी.एच.एस./2011/195 दिनांक 19.12.2011 के द्वारा जारी किये गये निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करावें।
8. जो सेवारत चिकित्सक अपनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु चिकित्सालयों में हडताल के दौरान आने चाहते हैं उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे।
9. हडताल के दौरान निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल/कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों की भी सेवायें ली जा सकती हैं। इन छात्रों की उक्त सेवा अवधि को प्रशिक्षण योग्य माना जायेगा।

उक्त व्यवस्था लागू किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर राज्य स्तर पर गठित कन्ट्रोल रूम को प्रतिदिन दिन में दो बार अवगत करावें। विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.12.2011 को निम्नानुसार राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम का गठन किया गया है एवं जिला स्तर पर गठित कन्ट्रोल रूमों को भी सक्रिय किया जावे।

  
(एस. अहमद)  
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
3. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जॉन
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
7. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।
8. निजी /रक्षित पत्रावली

  
(बी. एन. शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव